न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 38 / 2021 (2021 / 108)

अपीलार्थीपक्ष

श्रीमती प्रेमलता पत्नी स्व0 परसराम, जाति माली, निवासी बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर वगैरा।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. चिमनसिंह पुत्र स्व0 मंगलसिंह
2. राजेश पत्नी स्व0 ब्रह्मसिंह

जातियान् परिहार माली, निवासी गली नम्बर 06, इमरतीया बेरा, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

3. तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 44 ग्राम बासनी तम्बोलिया जो दिनांक 15.09.75 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति (अपीलार्थी पक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 मेहता (प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02)।

–: आदेश :– दिनांक :– 16.02.2022

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक / कोर्ट / डीएम / 21 / 2257 दिनांक 08.12.2021 की अनुपालना में यह अपील सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 44 ग्राम बासनी तम्बोलिया जो दिनांक 15.09.75 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेष की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है। अपील पंजीबद्ध कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 मेहता ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का लिखित जवाब दिनांक 24.12.2021 को पेश किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 28.01.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि जोराराम पुत्र हिमता जाति माली के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नं0 40 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 41 रकबा 05 बीघा, खसरा नं0 42 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 43/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरान् 04 कुल रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बासनी तम्बोलिया पटवार हल्का सुरपुरा तहसील जोधपुर में आई हुई है जिसका बापी पट्टा जोराराम के नाम से दिनांक 06.05.1943 को जारी किया गया जिस पर एकमात्र जोराराम बहैसियत खातेदार काबिज रहे। जोराराम जी का स्वर्गवास 1972 को हो गया। उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान् के तौर पर उनके पुत्र तुलछीराम, परसराम व हरदेवजी बहैसियत काबिज हुए। तुलछीराम एवं परसराम का स्वर्गवास हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी उक्त भूमि पर काबिज हुए। अपीलार्थिनी स्व0 परसराम पुत्र जोराराम की पत्नी है। उपरोक्त आराजी के कुछ भाग के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन नामान्तरकरण द्वारा गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से मंगलसिंह पुत्र बक्तावर का नाम इन्द्राज कर दिया तथा मंगलसिंह के देहान्त के बाद उनके वारिसान् का नाम दर्ज कर दिया। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज है जबकि रेस्पोडेन्ट का उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है और न ही कोई कानूनी अधिकारी है। जो इन्द्राज गलत रूप से विधि विरूद्ध तरीके से बिना क्षेत्राधिकार के इन्द्राज किया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि अपील में वर्णित कृषि भूमि जोराराम पुत्र हिमता जी के खातेदारी की कृषि भूमि थी। उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान् के नाम दर्ज हुई। जिस पर वे बहैसियत मालिक काबिज हुए, परन्तु विधि विरूद्ध तथाकथित अपीलाधीन नामान्तरकरण के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता मंगलसिंह का नाम दर्ज कर दिया। विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है। हाल ही अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 10 नवम्बर 2021 को तब हुई जब रेस्पोडेन्ट्स उपरोक्त भूमि पर पर आये और कहा कि उपरोक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से है तथा प्रार्थिनी उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा अप्रार्थीगण जबरदस्ती भूमि पर कब्जा कर प्रार्थिनी को बेदखल कर देगें। जिस बाबत् प्रार्थिनी ने दिनांक 15.11.2021 को हल्का पटवारी से रिकॉर्ड की जानकारी ली तब दिनांक 16.11.2021 को प्रथम बार अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। ऐसी स्थिति में उपरोक्त जानकारी से उपरोक्त अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन नामान्तरकरण शुरू से ही शून्य है क्योंकि विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। कानूनन ऐसे नामान्तरकरण को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है वह सद्भाविक विलम्ब है। जिसको माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना कानूनन लाजमी है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमावें।

अपीलार्थिनी के अधिवक्ता ने अपील वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि जोराराम पुत्र हिमता जाति माली के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally Signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं0 40 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 41 रकबा 05 बीघा, खसरा नं0 42 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 43 / 1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरान् 04 कुल रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बासनी तम्बोलिया पटवार हल्का सुरपुरा तहसील जोधपुर में आई हुई है जिसका बापी पट्टा जोराराम के नाम से दिनांक 06.05.1943 को जारी किया गया जिस पर एकमात्र जोराराम बहैसियत खातेदार काबिज रहे। जोराराम जी का स्वर्गवास 1972 को हो गया। उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान् के तौर पर उनके पुत्र तुलछीराम, परसराम व हरदेवजी बहैसियत काबिज हुए। तुलछीराम एवं परसराम का स्वर्गवास हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी उक्त भूमि पर काबिज हुए। अपीलार्थिनी स्व0 परसराम पुत्र जोराराम की पत्नी है। उपरोक्त आराजी के कुछ भाग के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन नामान्तरकरण द्वारा गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से मंगलसिंह पुत्र बक्तावर का नाम इन्द्राज कर दिया तथा मंगलसिंह के देहान्त के बाद उनके वारिसान् का नाम दर्ज कर दिया। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज है जबकि रेस्पोडेन्ट का उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है और न ही कोई कानूनी अधिकारी है जो इन्द्राज गलत रूप से विधि विरूद्ध तरीके से बिना क्षेत्राधिकार के इन्द्राज किया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः अपीलार्थिनी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अपीलार्थिनी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि विवादित कृषि भूमि जोरो बेटो हिमता जाति माली के खातेदारी की कब्जा काश्त थी तथा एकमात्र जोराराम ही उक्त भूमि पर काबिज थे। जोराराम के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान् के तौर पर उनके पुत्रान् उक्त भूमि पर काबिज हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पूर्वज मंगलसिंह पुत्र बक्तावरसिंह का कोई हक व अधिकार एवं कब्जा काश्त उक्त भूमि पर नहीं था परन्तु विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तथा राजस्व नियमों की पालना किये बिना ही तथाकथित बंटवाड़े को आधार मानकर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर मंगलसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है जबकि बंटवाड़ा हमेशा सहखातेदारों के मध्य ही होता है। स्व0 जोराराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान् व उनके पुत्रों का स्व0 मंगलसिंह सहखातेदार नहीं होने पर भी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तथाकथित बंटवाड़े के आधार पर विधिविरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया, जो निरस्त योग्य है। बहस के समर्थन में RLR 2000(2) PAGE NO 39 तथा RLW 2010(1) PAGE NO 231 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर ध्यान दिलाते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का जवाब पेश कर बतलाया कि मौजूदा अपील तमाम सही तथ्यों को छुपाकर 41 वर्ष पश्चात् पूर्णतया बेबुनियादी आधारों पर पेश की गई हैं, और हिम्मता जी की वंशावली दर्ज की जिसमें हिम्मता जी के दो पुत्र जोराराम व बक्तावर सिंह जी होने एवं जोराराम जी के तीन पुत्र त[illegible] परसराम, हरदेव सिंह व बक्तावर सिंह जी का पुत्र मंगल सिंह होना दर्ज किया गया। मंगल सिंह जी बहुत छोटे थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

तब उनके बाल्यकाल में ही बक्तावर सिंह जी का निधन हो गया और मंगल सिंह जी, जोराराम जी के साथ ही निवास करते थे और जोराराम जी कर्ता खानदान थे। चूंकि उपरोक्त भूमि पर जोराराम जी एवं मंगल सिंह जी का संयुक्त परिवार होने से संयुक्त रूप से काश्त थी, लेकिन राजस्व रेकर्ड में यह भूमि बरवक्त सेटलमेन्ट जोराराम जी के नाम से दर्ज हो गई और बापी पट्टा उनके नाम से जारी किया गया। उपरोक्त भूमि पुश्तैनी भूमि थी और संयुक्त कब्जा काश्त होने से जोराराम जी एवं उनके पश्चात् उनके तीनों पुत्रों तुलसीराम, परसराम व हरदेव सिंह जी इस बात को पूरी तरह स्वीकार करते थे। चूंकि राजस्व रेकर्ड में मात्र जोराराम जी का नाम दर्ज हो जाने से तुलसीराम, परसराम, हरदेव सिंह जी ने मंगल सिंह जी के पक्ष में एक इकरारनामा दिनांक 04.09.75 को निष्पादित किया। इकरारनामें के आधार पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 44 दिनांक 15.09.1975 स्वीकार किया गया और इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में स्व0 श्री मंगल सिंह जी का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार उपरोक्त खसरान् की आधी भूमि के खातेदार जोराराम जी के वारिसान् एवं आधी भूमि के खातेदार स्व0 मंगल सिंह जी हुए। उपरोक्त भूमि का स्व0 जोराराम जी के वारिसान् एवं स्व0 मंगल सिंह जी ने उपरोक्त खसरान् की भूमि का राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर विभाजन करना तय कर लिया और इस सम्बन्ध में धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत एक एग्रीमेन्ट भाई बंटवाडे बाबत् तहसीलदार जोधपुर के समक्ष पेश किया गया जिसमें तुलसीराम जी, परसराम जी, हरदेव सिंह जी एवं मंगल सिंह जी चारों ने अपनी राजी खुशी से बंटवाडा करना तय किया। उपरोक्त बंटवाडे का दस्तावेज दिनांक 01.03.1993 को तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया और माफिक भाई बंटवाडे के एग्रीमेन्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा विभाजन की स्वीकृती दी गई और इस विभाजन के अनुसरण में म्युटेशन स्वीकार किया गया। उपरोक्त भूमि का मौके पर विभाजन होने के पश्चात् स्व0 श्री मंगल सिंह जी ने अपने जीवनकाल में उनके हिस्से में जो भूमि आई उसके चारों तरफ सुरक्षा के लिये चार दीवारी बनाई और वर्ष 1995 में स्व0 मंगल सिंह जी का देहान्त हो गया और उनके देहान्त के बाद फौतेदगी के आधार पर उनकी पत्नी श्रीमती सुआ देवी एवं दोनो पुत्रों स्व0 ब्रहम सिंह परिहार व चिमन सिंह परिहार के नाम नामान्तरणकरण भरा गया। स्व0 परसराम, तुलसीराम जी एवं हरदेव जी की भूमि पृथक–पृथक वर्ष 1993 में ही हो चुकी हैं और जिसमें से तुलसीराम जी द्वारा व परसराम जी के वारिसान् ने अपनी खातेदारी की भूमि श्री कुम्भ सिंह वगैरा को बेचान कर दी और अपनी खातेदारी की कृषि भूमि बेचान करने के पश्चात् पूर्णतया झूठी अपील अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश की हैं। स्व0 ब्रहम सिंह जी के देहान्त के पश्चात् उनकी पत्नी के नाम पर उक्त भूमि नामान्तरित हुई। प्रार्थीनी ने इन तमाम तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया हैं। यहां यह दर्ज करना उचित होगा कि अप्रार्थीगण की भूमि चारों तरफ से बाउण्डेड हैं और पानी बिजली का कनेक्शन भी स्व0 ब्रहम सिंह जी द्वारा लिया गया। इस सम्बन्ध में मौके की स्थिति के फोटोग्राफस भी पेश किये। यहां यह दर्ज करना भी उचित होगा कि ब्रहम सिंह परिहार, चिमन सिंह परिहार एवं श्रीमती सुआ देवी ने खसरा नम्बर 40, 41 व 42 की उनके कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमि में से 3 बीघा 19 बिस्वा 6 बिस्वांसी भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

और आवंटन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दैनिक नवज्योति में लोक सूचना प्रकाशित करवाकर आक्षेप मांगे गये और तत्समय भी प्रार्थीनी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप नही किये गये। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि प्रार्थीनी ने तमाम तथ्यों को छुपाकर पूर्णतया गलत कथन करते हुए मौजूदा अपील 41 वर्ष पश्चात् की हैं, जो स्वयं उनके पति द्वारा की गई स्वीकारोक्ती से गलत साबित हैं। प्रार्थीनी का कोई कब्जा ही नही हैं और न ही कभी कब्जा काश्त रहा अतः दिनांक 10 नवम्बर 2021 अथवा अन्य कभी भी धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता। प्रार्थीनी को उपरोक्त तमाम तथ्यों की जानकारी प्रारम्भ से हैं, महज प्रार्थीनी की नियत में बदनियती आ जाने से इस पद में दिनांक 10 नवम्बर 2021 को जानकारी होने के पूर्णतया गलत कथन किये हैं। प्रार्थीनी को प्रारम्भ से तमाम सही तथ्यों की जानकारी हैं। अपीलाधीन नामान्तरणकरण की प्रारम्भ से जानकारी होने के बावजूद एवं मौके पर भूमि बाउण्डेड होने के बावजूद भी 41 वर्ष तक किसी भी प्रकार का उजर एतराज नही किया जाना साबित करता हैं कि प्रार्थीनी ने पूर्णतया गलत कथन करते हुए अपील पेश की और उसी क्रम में गलत कथन किये हैं। चूंकि प्रार्थीनी 41 वर्ष देरीना अपील प्रस्तुत करने का समुचित कारण नही बता पाई हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ नही किया जा सकता हैं। प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से काबिले खारिज योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थिनी के पति स्व0 परसराम व उसके भाई स्व0 तुलछीराम व हरदेवराम पुत्रान् जोराराम ने जरिये इकरारनामा प्रत्यर्थी संख्या 01 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 02 के ससुर मंगलसिंह पुत्र बक्तावरसिंह का नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज करवाया। जिस इकरारनामें के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, उस पर प्रार्थिनी के पति स्व0 परसराम व पति के भाई स्व0 तुलछीराम व हरदेवराम के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि उक्त इकरारनामा की जानकारी प्रार्थिनी के पति व पति के भाईयों को दिनांक 04.09.75 से थी। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 तथा उनके पूर्वजों का उक्त आराजी पर शुरू से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 15.09.1975 को स्व0 मंगलसिंह के नाम जरिये इकरारनामा स्वीकृत किया गया, उस समय से ही स्व0 मंगलसिंह व उनके वारिसान् उक्त जमीन पर काश्त कर रहे है तथा स्व0 मंगलसिंह के जीवनकाल में अपीलार्थिनी के पति व पति के दो अन्य भाईयों के मध्य तहसीलदार जोधपुर के समक्ष एग्रीमेंट भाई बंटवाड़ा दिनांक 01.03.1993 को हुआ तथा उक्त बंटवाड़ा तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 70 तस्दीक किया गया तथा स्व0 मंगलसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 19.04.95 को ब्रह्यसिंह, चिमनसिंह पिता मंगलसिंह, सुआदेवी बेवा मंगलसिंह के नाम दर्ज किया गया। ब्रह्यसिंह परिहार के फौत होने के पश्चात् राजेश परिहार पत्नी ब्रह्यसिंह के नाम नामान्तरकरण संख्या 917 दिनांक 02.03.21 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी व उसके पूर्वज दिनांक 15.09.75 से आज तांक तक काबिज है। अतः प्रार्थिनी ने न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आए नहीं की है इसलिए किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे। बहस के समर्थन में AIR 1994 SC 853, AIR 2014 SC 746, 2014 (Suppl.) CCC 848 (SC), 2014 (1) Apex Court Judgements 200 (SC), 2009 (1) RLW (RJ) 147, 1998 Western Law Cases (Raj) UC Page 354 Para 60, 2001 (3) Western Law Cases (Raj) Page 470 तथा AIR 1962 ALLAHABAD Page 407 Para 20 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर ध्यान दिलाते हुए अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.11.2021 को तब हुई जब रेस्पो0 विवादित भूमि पर आये तथा उक्त भूमि उसके नाम की होने तथा अपीलार्थी को बेदखल करने की धमकी देने लगे तब अपीलार्थीपक्ष ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर दिनांक 16.11.21 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो प्रथम बार जानकारी हुई। प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने आगे बतलाया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 द्वारा खातेदारी अधिकारों का मूल आधार इकरारनामा दर्शाया गया है जबकि विधि अनुसार इकरारनामा से किसी व्यक्ति विशेष को स्वामित्व अधिकारों का सृजन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार जोधपुर को इकरारनामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार भी नहीं था जो क्षेत्राधिकार विहिन रूप से पारित किया गया है जो प्रारम्भतः अवैध होने के कारण म्याद संबंधी प्रावधान लागू ही नहीं होते है। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना–पत्र के विरोध में कहा गया कि अपील के तमाम तथ्यों को छुपाकर 41 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है तथा अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि उसे नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.11.2021 को हुई। रेस्पो0 पक्ष की भूमि मौके पर बाउन्डेड है तथा मौके पर निर्माण कार्य भी किया हुआ है। प्रत्यर्थीपक्ष के द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स, दस्तावेज प्रतियों का अवलोकन करने से भी प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीपक्ष के पूर्वज के नाम से उक्त भूमि पर बिजली कनेक्शन लिया हुआ है। रेस्पो0 द्वारा वर्ष 2017 में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का आवेदन जोधपुर विकास प्राधिकरण में किया गया तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोक सूचना का नोटिस भी दैनिक नवज्योति में प्रकाशित हुआ। जिस इकरारनामें के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, उस पर प्रार्थिनी के पति स्व0 परसराम व पति के भाईयों स्व0 तुलछीराम व हरदेवराम के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि उक्त इकरारनामा की जानकारी प्रार्थिनी के पति व उसके भाईयों को शुरू से थी। प्रार्थिनी के पति व उसके भाईयो तथा प्रत्यर्थी के पूर्वज मंगलसिंह के मध्य दिनांक 01.03.93 को एग्रीमेन्ट भाई बंट बंटवाड़ा निष्पादित हुआ जिसे तहसीलदार जोधपुर द्वारा तस्दीक किया गया। अतः प्रार्थिनी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु सन्तोषप्रद कारण उल्लेखित नहीं किये है इसलिए किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने समस्त कथन वास्तविकता से परे जाकर अभिलिखित किये है। प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त [illegible] न्यायिक दृष्टान्त मौजूदा प्रकरण में चस्पा होते है। अधिवक्ता प्रार्थिनी–अपीलांट द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

गया हैं, मौजूदा मामले में चस्पा नही होते हैं और ऐसी स्थिति में म्याद कन्डोन किये जाने योग्य नही हैं। प्रार्थीनी / अपीलान्ट को नामान्तरणकरण की प्रारम्भ से जानकारी होने के कारण एवं गलत कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण म्याद को कन्डोन करवाने की अधिकारणी नही हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 16.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested